गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर की प्रबन्ध व्यवस्था के अर्न्तगत आने वाले नैसर्गिक रामगढ़ताल में मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु जलाशय "जहां है जैसे है" की स्थिति में नीलामी की शर्तो के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में हेतु 05 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24, वर्ष 2024–25, वर्ष 2025–26, वर्ष 2026–27, वर्ष 2027–28 तक की अवधि हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका सं0–5261/2022 में पारित निर्णय मान्य होगा, के आधार पर दिनांक 23/5/2023 से दिनांक 22/6/2023 तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी ई–नीलामी दिनांक 24/6/2023 को सम्पन्न होगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई–नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नही दी जायेगी। आवेदन पत्र आन लाइन ही स्वीकार किया जायेगा। ब्लैक लिस्टेड समितियाँ ई–नीलामी में भाग नही ले सकेंगी।

16/5/23

(यू0 पी0 सिंह)
सचिव O/C

(महेन्द्र सिंह तंवर)
उपाध्यक्ष O/C

नैसर्गिक झील रामगढ़ताल को मत्स्य पालन एंव मत्स्य आखेट हेतु ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24, वर्ष 2024–25, वर्ष 2025–26, वर्ष 2026–27, वर्ष 2027–28 के लिए नियम व शर्तें निम्नवत है :–

1– उक्त ताल की नीलामी 05 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24, वर्ष 2024–25, वर्ष 2025–26, वर्ष 2026–27, वर्ष 2027–28 के लिए की जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अवधि की गणना किया जायेगा।

2– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका सं0–5261/2022 में पारित निर्णय मान्य होगा । ब्लैक लिस्टेड समितियाँ ई–नीलामी में भाग नही लेंगी।

3– 05 वर्ष की अवधि के लिए नीलामी की न्यूनतम धनराशि रू0–12,74,49,954.00 होगी।

4– नियमानुसार अनुबन्ध कराने के बाद मत्स्य पालन एवं आखेट की अनुमति दी जायेगी।

5– रामगढ़ताल परियोजना के अर्न्तगत अधिग्रहित 12 ग्रामों तथा जिले/प्रदेश/देश स्तर की सभी समितियाँ इस नीलामी में भाग ले सकती है।

6– प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की ई–नीलामी दिनांक 25/6/2023 को सम्पन्न होगी।

7– नीलामी के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ताल परियोजना के अर्न्तगत अधिग्रहित की गयी भूमि के ग्राम 1–रामगढ़ताल, 2–रसूलपुर, 3–बिलन्दपुर, 4–दाउदपुर, 5–रूस्तमपुर, 6–मरवलिया खुर्द, 7–गोपालपुर, 8–मुहम्मद चक, 9–मरवलिया बुजुर्ग, 10–रामपुर, 11–मनहट, 12–गायघाट बुजुर्ग की 12 ग्राम के उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ जिनका नवीनीकरण अद्यतन समय तक हुआ हो, ही भाग ले सकेंगी और किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मात्र इसी आशय की सार्वजनिक सूचना की जायेगी। निविदा मात्र उपरोक्तानुसार आमंत्रित की जायेगी और प्रथम चरण में एक से अधिक समितियों द्वारा निविदा डाली जाने की दशा में नीलामी की प्रकिया मात्र उन्हीं समितियों के मध्य सम्पन्न करायी जायेगी और अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ताल का पट्टा नियमानुसार स्वीकृति के उपरान्त दे दिया जायेगा।

8– बोली में प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी व उसके पारिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार बोली में भाग नही ले सकेंगे। यदि संज्ञान में आता है कि किसी भी कर्मचारी/पारिवारिक सदस्य अथवा रिस्तेदार बोली में भाग लिये है तो बोली निरस्त करते हुए जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9– प्रथम चरण में उक्त ताल का आवंटन न होने की दशा में नीलामी के द्वितीय चरण में उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन जिला स्तर तक की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ, जिनका नवीनीकरण अद्यतन समय तक हुआ हो, ही भाग ले सकेंगी और किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मात्र इसी आशय की सार्वजनिक सूचना की जायेगी। निविदा मात्र उपरोक्तानुसार आमंत्रित की जायेगी और नीलामी के द्वितीय चरण में एक से अधिक समितियों द्वारा निविदा डाले जाने की दशा में नीलामी की प्रकिया मात्र उन्हीं समितियों के मध्य

सम्पन्न करायी जायेगी और अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ताल का पट्टा नियमानुसार स्वीकृति के उपरान्त दे दिया जायेगा।

10— यदि नीलामी के द्वितीय चरण में ताल का पट्टा न होने की दशा में नीलामी के तृतीय चरण में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन जिला स्तर तक की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉं, जिनका नवीनीकरण अद्यतन समय तक हुआ हो, ही भाग ले सकेंगी और किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मात्र इसी आशय की सार्वजनिक सूचना की जायेगी। निविदा मात्र उपरोक्तानुसार आमंत्रित की जायेगी और एक से अधिक समितियों द्वारा निविदा डाले जाने की दशा में नीलामी की प्रकिया मात्र उन्हीं समितियों के मध्य सम्पन्न करायी जायेगी और अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ताल का पट्टा नियमानुसार स्वीकृति के उपरान्त दे दिया जायेगा।

11— नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नलिखित प्रपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा :—

(क) कार्यालय उप निबन्धक, सहकारी समितियॉं उ0प्र0 तथा निदेशक मत्स्य उ0प्र0 के द्वारा उ0प्र0 के द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन जारी निबन्धन प्रमाण पत्र।

(ख) मत्स्य विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यरत समिति के नवीनीकरण/सक्रियता प्रमाण पत्र।

12— नीलामी 5 वर्ष के लिए होगी। जिसमें प्रथम वर्ष अनुबन्ध की तिथि से 31 मार्च तक माना जायेगा तथा आगामी वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा। इस प्रकार पॉंचवां वर्ष 31 मार्च 2028 को समाप्त हो जायेगा और 1 अप्रैल 2028 से उक्त पट्टा धारक को ताल में मछली आखेट करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

13— नीलामी आन लाईन आमंत्रित की जायेगी तथा सर्वाधिक धनराशि बोलीदाता के पक्ष में नीलामी/ठेका स्वीकृत किया जायेगा।

14— नीलामी में भाग लेने से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु रू0—5,000.00 व 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत रू0—1,27,44,996.00 मात्र जमानत धनराशि आन लाईन प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा, जो कि सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा।

15— उच्चतम बोली स्वीकार होने की दशा में उच्चतम बोली बोलने वाली संस्था/समिति को नीलामी की पूर्ण रकम का 40 प्रतिशत धनराशि नीलामी की तिथि से 15 दिन के अन्दर, 40 प्रतिशत धनराशि 1 वर्ष व्यतीत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर एवं शेष 20 प्रतिशत धनराशि 2 वर्ष व्यतीत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर तक प्राधिकरण कोष में जमा किया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नही किया जाता है, तो मात्र 03 माह तक बकाया धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित धनराशि जमा करने का अवसर दिया जाता है और उक्त अवधि तक ब्याज सहित धनराशि जमा न करने पर ठेका/लाइसेन्स समाप्त कर दिया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रारम्भ में अथवा मध्य में उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि नही जमा किया जाता है, तो उसका ठेका/लाइसेन्स निरस्त करने के पश्चात् अवशेष अवधि के लिए द्वितीय बोलीदाता के अधिकतम बोली अथवा

अधिकतम बोली की अनुपातिक धनराशि पर द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में उपरोक्त शर्तो के अर्न्तगत कर ठेका/लाइसेन्स दिया जायेगा एवं द्वितीय बोलीदाता द्वारा भी निर्धारित समय पर धनराशि जमा न करने पर उक्त नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

16– रामगढ़ताल में संचालित नौका विहार/नौकायन एवं सौन्दर्यीकरण में किसी प्रकार का व्यवधान ठेकाधारक द्वारा उत्पन्न नही किया जाएगा।

17– रामगढ़ताल में मछली मारने के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन होगा तो यह नीलामी कार्यवाही उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अर्न्तगत होगी।

18– उच्चतम बोली स्वीकार होने पर बोली की निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरान्त बोलीदाता व प्राधिकरण के मध्य पंजीकृत अनुबन्ध/लाइसेन्स निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

19– रामगढ़ताल का रख–रखाव व आखेट में लगने वाले उपकरण बोलीदाता/नीलामी लेने वाली संस्था/समिति का होगा ।

20– उच्चतम बोलीदाता अपनी नॉवों, मोटर वोट, कर्मचारी आदि का विवरण जिसका प्रयोग किया जायेगा, उसका विवरण 01 अप्रैल व 01 अक्टूबर को प्रतिवर्ष देना होगा।

21– उच्चतम बोलीदाता वाली संस्था को स्थल पर मछली निकलने व उससे होने वाली आय/व्यय के प्रतिदिन का विवरण रजिस्टर पर अंकित करना होगा जिसे प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

22– ताल में मछली/बीज डालने का विवरण स्थल पर रखे गये रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य होगा।

23– एन0जी0टी0, विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा रामगढ़ताल में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रोक लगायी जाती है तो उसका पूर्ण अनुपालन करना होगा।

24– उच्चतम बोलीदाता द्वारा किसी तथ्य को छिपाने सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसका जिम्मेदार उच्चतम बोलीदाता होगा।

25– उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपने कार्यो में लगाये गये कर्मचारियों की सुरक्षा, बीमा आदि की जिम्मेदारी उच्चतम बोलीदाता की होगी।

26– उच्चतम बोलीदाता द्वारा मत्स्य पालन हेतु लगायी गयी नावें, मोटर वोट आदि जिसका प्रयोग किया जायेगा वह अच्छी प्रकार की होगी।

27– ठेकाधारक को जलाशय में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का इस्तेमाल करने का अधिकार नही होगा जिससे जलाशय का पानी दूषित हो और प्रदूषण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन होता हो।

28– ठेका लेने वाली सहकारी समिति को जलाशय से मछली निकालने का अधिकार उनको या उनके द्वारा अधिकृत नियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों की सूचना पूर्व में प्राधिकरण को देने और अनुमति प्राप्त करने पर होगा।

29– ठेका प्राप्त करने वाली संस्था को उपरोक्त वर्णित शर्तो के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर पारित शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

30– बोली प्रतिस्पर्धात्मक न होने अथवा आरक्षित धनराशि से बोली में सन्तोषजनक वृद्धि न होने के कारण बोली निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का होगा।

31– ठेका प्राप्त करने वाली संस्था/समिति अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि उनके पट्टे/लाइसेन्स को निरस्त कर देवें तथा जमा धनराशि को जब्त कर लवें तथा पुनः नीलामी करा दें।

32– गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी भी बोली को जो अधिकतम होगी अस्वीकार कर देवें।

33– असफल बोलीदाताओं द्वारा जमानत धनराशि के रूप में रू0–रू0–1,27,44,996.00 मात्र में से रू0–1,000.00 मात्र प्रशासनिक व्यय की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

34– 05 (पॉच) वर्ष की समाप्ति पर अगला ठेका/लाइसेन्स अधिकतम निर्धारित धनराशि में नियमानुसार बढ़ोत्तरी करते हुए सरकारी बोली निश्चित की जाएगी।

35– प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह आवश्यक होगा कि पात्रता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मत्स्य विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बोलीदाता नीलामी में भाग ले सकेगा ।

36– रामगढ़ताल में मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु सफल बोलीदाता को पट्टा अवधि के अन्दर यदि किन्ही प्राकृतिक/अप्राकृतिक अथवा अन्य किसी कारण से किसी प्रकार की क्षति होगी है तो प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार नही होगा। यह क्षति स्वयं पट्टेदार को स्वयं वहन करना पड़ेगा।

37– सफल बोलीदाता एवं प्राधिकरण के मध्य पट्टे का अनुबन्ध शासनादेश के अनुरूप देय स्टैम्प ड्यूटी पर सम्पादित किया जायेगा, जिसका पंजीकृत अनुबन्ध के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय/खर्च उच्चतम बोलीदाता/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

38– इस पट्टे से सम्बन्धित कोई भी विवाद अगर ठेकेदार व प्राधिकरण के मध्य उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर सालिश (आबीट्रेटर) होगें, उनका निर्णय अन्तिम रूप से उभय पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशन अधिनियम 1956 के अर्न्तगत आरबीट्रेशन का कार्य करेंगे।

39– रामगढ़ताल में मत्स्य पालन एवं आखेट के नीलामी हेतु ताल की स्थिति "जहां है जैसे है" पर ही बोली जाएगी। किसी भी प्रकार के करों की देयता उच्चतम बोलीदाता की होगी।

40– उच्चतम बोली की धनराशि का 5 प्रतिशत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में 5 वर्ष तक बन्धक रखना होगा, जो ठेका समाप्त होने के बाद दिया जायेगा।

41– सफल बोलीदाता को मत्स्य बीज संचय भी नियमानुसार करना होगा।

42– शिकारमाही पर 01 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिबन्ध रहेगा।